उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED
CIN No. : U85320 UP 1975SGC004116

EPBX 2720671 / 2720665 / 2720670
Fax - 0522-2720846

Website : http://www.uprnn.co.in

पंजीकृत कार्यालय
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010

Registered Office :
Vishweshwariya Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010

संख्या 268/कैम्प-प्र० नि०/गा० फा०/रा० नि० नि०/2017 **दिनांक** 15-5-2017

समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक (सि0 व वि0)
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
....

अतिमहत्वपूर्ण
अनुस्मारक–द्वितीय

महाप्रबन्धक(वाणिज्य) / महाप्रबन्धक(तक0) /
महाप्रबन्धक(कन्स0) / महाप्रबन्धक(यॉ0)
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ

विषयः–समस्त कार्य एवं सामग्रियों का क्रय ई–टेण्डरिंग प्रकिया से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता के परिपत्र संख्या–159 / कैम्प–प्र0नि0 / गा0फा0 / रानिनि / 2017 दिनांक 9.4.2017 एवं अनुस्मारक पत्रांक–178 / कैम्प–प्र0नि0 / गा0फा0 / रानिनि / 2017 दिनांक 17.4.2017 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि शासनादेश संख्या–350 / 23–7–2017 दिनांक 31.3.2017 के अनुसार ई–टेण्डरिंग प्रकिया से ही कार्यों का आबंटन एवं सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित किया जाये। समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक अपने अधीनस्थ इकाईयों पर उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा यदि किसी इकाई पर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा शिथिलता की स्थिति पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध शख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय–समय परिपत्र व अनुस्मारक पत्रांक–300 / विविध–30 / रानिनि / 17 दि0 25.3.17 प्रेषित कर निर्देशित किया जाता रहा है कि मैनुवल प्रस्तर–102ए के अनुपालन में पारदर्शी प्रकिया अपनाकर एवं व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं मितवव्ययी दरों पर गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अभी तक अवगत नहीं कराया गया, जिससे ज्ञात हो सके कि सन्दर्भित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं अभी तक अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया जाये। यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(आर0के0गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
2. कैम्प कार्यालय–प्रबन्ध निदेशक / उप–प्रबन्धक(आई0टी0),उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक 15/5